[श्रीमती संयोगिता राणे]

बचाया जा सके ? मुझे विश्वास है कि बैंकों में नोटों को सुरक्षित रखने उन्हें स्वच्छ हालत में बनाए रखने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे ताकि जन साधारण को कठिनाई न हो ।

(viii) NEED FOR LEGISLATION FOR EXERCISING CENTRAL CONTROL IN THE APPOINTMENTS OF V.C., PROFESSOR, ETC. IN ALL UNIVERSITIES.

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष जी, शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय जो राज्य सरकारों के पास था, आज समवर्ती सूची का विषय बन गया है । अतः इस नोक झोंक के विषय पर केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि शिक्षा ही राष्ट्रीय विकास की धुरी है । इसके माध्यम से ही राष्ट्रीय एकीकरण की बात सोची जा सकती है । पर दुर्भाग्य से भारतीय शिक्षा व्यवस्था आज नई समस्याओं से घिरी हुई है ।

उसमें प्रमुख यह है कि शिक्षा में एकरूपता नहीं । शिक्षा प्रान्तीयता भाषा, धर्म, जाति और वर्ग की संकीर्णता से घिर कर विकृतता की ओर बढ़ रही है । विश्वविद्यालय प्रांगण में लड़ाई झगड़े, वाकआउट आदि विषय आम बात हो गई है । केन्द्र सरकार यू. जी. सी. के माध्यम से करोड़ों रुपयों का अनुदान विश्वविद्यालयों को देती है पर शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं । यूनिवर्सिटी की आटोनामी के नाम पर जो धांधलियां होती है, वह सभी जानते हैं ।

शिक्षा जब समवर्ती सूची का विषय है फिर क्यों नहीं शिक्षा मंत्रालय उपकुलपति, प्रोफेसर तथा रीडर्स की नियुक्ति जैसे विषय को अपने हाथ में लेता है । अंत में शिक्षा मंत्रालय का ध्यान इस अतिमहत्व के महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि देश की सभी यूनिवर्सिटीज के उपकुलपति, प्रोफेसर, रीडर की नियुक्तियां केन्द्रीय सरकार के माध्यम से हों, न कि राज्य सरकारों के माध्यम से । मेरे प्रान्त राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटीज जयपुर, जोधपुर तथा राजस्थान विश्वविद्यालय आज समूहों में विभक्त हैं । वी. सी. के पक्ष तथा विपक्ष के समूह हो आये दिन इन शिक्षा के पवित्र स्थलों की शांति भंग किये हुए हैं । यही हाल सम्पूर्ण देश के सभी विश्वविद्यालयों का है । अतः केन्द्रीय सरकार विशविद्यालय के शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिये तथा राष्ट्रीय एकीकरण और उपरोक्त विषय की गम्भीरता को समझते हुए तुरन्त कोई बिल इसी सत्र में सदन में, अब सम्भव नहीं, अगले सत्र में पेश करे कि सभी विश्वविद्यालय की नियुक्तियों केन्द्र करेगा । वी. सी., तथा प्रोफेसर, रीडर का स्थानान्तरण भी आवश्यकतानुसार एक विश्वविद्यालय से दूसरे में हो सकेगा तभी हम शिक्षा में एकरूपता तथा राष्ट्रीय एकीकरण की बात सोच सकेंगे ।

(ix) NEED TO DESPATCH CENTRAL POLICE FORCE AT SHIRPUR NEAR AKOLA IN MAHARASHTRA TO SAVE RELIGIOUS PEOPLE FROM ATTACKS:

SHRI RATANSINH RAJDA (Bombay South): Sir, under rule 377, I raise the following matter of urgent public importance:

India is a country where people enjoy freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Article 15 of our Constitution prohibits discrimination *inter alia* on grounds only of religion, race, caste, sex place of birth or any of them. Again, Article 26 of the Constitution grants to every religious denomination or any section thereof the right to manage their own religious affairs.

This House is perhaps aware that two sects of the Jain community, namely, Swetamber Jains and Digambar Jains are at loggerheads over the ownership of the religious temple, especially the Deity of Antarikshji at Shirpur, near Akola in Maharashtra.

There are frequent reports in the press that persons belonging to Swe-